



Ref. No. CGTMSE/44/37

19 मई /May 19, 2023

समस्त पात्र ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ To All Eligible Non-Banking Finance Companies

परिपत्र संख्या 226/2023-24 Circular No.226 / 2023 - 24

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) योजना में संशोधन Non-Banking Finance Companies (NBFCs) Scheme Modification

कृपया 24 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र संख्या 169/2020-21 और 20 अगस्त 2021 के परिपत्र संख्या 182/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) (सीजीएस-॥) के लिए क्रमशः लागू पंजीकरण मानदंड और ब्याज दर निर्धारण के संबंध में उल्लेख किया गया है। एमएसई पारितंत्र में एनबीएफसी द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अतीत में अधिक से अधिक एमएसई की सहायता हेतु कई संशोधन किए गए हैं। अब, मौजूदा सीजीएस-॥ योजना में निम्नलिखित संशोधन शुरू करने का निर्णय लिया गया है:

Please refer to our Circular No.169/2020-21 dated April 24,2020 and Circular No. 182/2021-22 dated August 20,2021 with regard to registration criteria and Interest rate stipulation respectively applicable for Non-Banking Finance Companies (NBFCs) (CGS-II). Considering the role played by NBFCs in the MSE ecosystem, various modifications have been carried out in the past to support more and more MSEs. Now, it has been decided to introduce following modifications in the existing CGS-II Scheme:

1. <u>गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए पंजीकरण मानदंड Registration criteria for NBFCs-</u>

3 वर्ष के अनुभववाली एनबीएफसी	3 वर्ष से अधिक की अनुभववाली एनबीएफसी
NBFCs with Vintage up to 3 years	NBFCs with Vintage more than 3 years
एमएसएमईडी अधिनियम, 2020 के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण में संलग्न भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी। NBFC registered with RBI engaged in financing Micro and Small enterprises (MSE) as defined under the MSMED Act, 2020 20% जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए न्यूनतम पूंजी	एमएसएमईडी अधिनयम, 2020 के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण में संलग्न भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी NBFC registered with RBI engaged in financing Micro and Small enterprises (MSE) as defined under the MSMED Act, 2020 15% जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए न्यूनतम पूंजीMinimum





Minimum Capital to risk weighted asset ratio (CRAR) of 20%	Capital to risk weighted asset ratio (CRAR) of 15%
निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) 4% से कम या उसके बराबर है। Net Non-Performing Asset (NPA) is less than or equal to 4%.	निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) 4% से कम या उसके बराबर है। Net Non-Performing Asset (NPA) is less than or equal to 4%.
परिचालन का एक पूरा वित्तीय वर्ष पूरा होना चाहिए और लाभ रिपोर्ट किया गया हो। Should have completed one full fiscal year of operations and reported profit.	लेखापरीक्षित वितीय विवरणों के पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में लाभ रिपोर्ट किया गया हो। Should have reported profit in at least 2 years out of the last 3 years of audited financial statements.
न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹ 20 करोड़ और न्यूनतम आस्ति आकार ₹ 50 करोड़ होना चाहिए। Minimum Net Owned funds ₹ 20 crore and minimum asset size of ₹ 50 crore	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि ₹ 50 करोड़ और न्यूनतम आस्ति आकार ₹ 100 करोड़ होना चाहिए। Minimum Net Owned funds ₹ 50 crore and minimum asset size of ₹ 100 crore

2. जोखिम आधारित मुल्य निर्धारण पदधित Risk-Based Pricing methodology

 सीजीटीएमएसई द्वारा सूचीबद्ध बाहय रेटिंग एजेंसियों द्वारा पोर्टफोलियो की जोखिम रेटिंग के आधार पर गारंटीकृत पोर्टफोलियो के लिए जोखिम आधारित गारंटी शुल्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

It has been decided to introduce Risk based Guarantee fee for the guaranteed portfolio based on the risk rating of the portfolio by the external rating agencies empanelled by CGTMSE.

3. ब्याज दर <u>सीमा Interest Rate Cap</u>

- सभी एमएसई ऋण जिनकी ब्याज दर 25% प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे।
- All MSE Loans having Interest rate not exceeding 25% p.a. will be eligible for coverage under the Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.





उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। The above modifications will be effective from April 01, 2023.

क्रेडिट गारंटी योजना ॥ के सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। All other Terms and Conditions of Credit Guarantee Scheme II shall remain unchanged.

कृपया अपने सभी कार्यालयों को इस परिपत्र की विषय- वस्तु से अवगत कराएँ। The contents of the circular may please be brought to the notice of all your offices.

भवदीयYours faithfully,

ह Sd/-(धीरज कुमार Dhiraj Kumar) उप महाप्रबंधक Deputy General Manager